UPSI040332532022

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम, सीतापुर।

सी आई एस नम्बर–3933/2022

उ0 प्र0 राज्य **बनाम** मो0 जुबैर

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र</u>

<u>दिनॉक–07–07–2022</u>

अभियुक्त **मो0 जुबैर** पुत्र मो0 रफीक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–226/2022, धारा–295A, 153A भा0 दं0 सं0 व धारा–67 सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2000, थाना–खैराबाद, जिला–सीतापुर के मामले में जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए दौरान मुकदमा उसे जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्त दिनॉक–04–07–2022 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जरिए जमानत प्रार्थना–पत्र यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त All News का सह–संस्थापक है, जिसका कार्य सोशल मीडिया पर गलत सूचना को उजागर कराना है। इसी क्रम में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा दिनॉक–27–05–2022 को अपने ट्वीटर अकाउन्ट से ट्वीट किया गया (ट्वीट की छाया प्रति जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्नक संख्या–4 के रूप में मौजूद है)। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गुदी कान्ती नरसिंहहुलू बनाम लोक अभियोजक, 1978 (1) एस सी सी 246 में प्रतिपादित विधि–व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। अन्ततः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए अभियुक्त का आपराधिक इतिहास थाने से तलब करने हेतु याचना की गयी है।

उभय पक्षों को सुना तथा सम्पूर्ण पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि–व्यवस्था का ससम्मान अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त पर जानबूझकर समाज में विद्वेश फैलाने व मुस्लिम विवाद कराने और हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात करने तथा विभिन्न सम्प्रदाय के लोगों के मध्य नफरत फैलाने का आरोप है। मामला गम्भीर, संज्ञेय एवं गैर जमानतीय प्रकृति का है। अभियुक्त को जमानत पर छोंड़े जाने की स्थिति में अभियुक्त द्वारा उक्त कृत्य दोहराने तथा प्रकरण से सम्बन्धित साक्ष्य व साक्षियों को प्रभावित करने की सम्भावना है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को तथा अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए वाद के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी नहीं करते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोंड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अभियुक्त मो0 जुबैर पुत्र रफीक का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **मो0 जुबैर** पुत्र मो0 रफीक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–226/2022, धारा–295A, 153A भा0 दं0 सं0 व धारा–67 सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र **निरस्त** किया जाता है।

(अभिनव श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम,
सीतापुर।
(J.O. Code: UP-2489)

राम रहीस